कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

....

क्र./नवीन शैक्ष. संवर्ग/2019–20/ भोपाल, दिनांक 10/01/2020

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाये गये आवेदकों के काउंसलिंग के लिये निर्देशिका

1/ मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग),सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय–समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे ''भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) और विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ 1–119/2018/20–1, दिनांक 28.08.2018 के द्वारा जारी नियोजन की प्रक्रिया में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल, के द्वारा आयोजित **''माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2018''** में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में **माध्यमिक शिक्षक** के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है।

2/ विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियॉ परिशिष्ट –1 (ब) संलग्न है।

3/ **शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताऐं :–**

भर्ती नियम 2018 के नियम–8 की अनुसूची–तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा–

माध्यमिक शिक्षक

माध्यमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची–तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा।

(1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2018 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो।

(2) संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड)

अथवा

संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए/बी.एस.सी. बी.एड. या बी.ए.एड./ बी.एससी.एड.)

अथवा

संबंधित विषय में कम में कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

नोटः—

(क) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

(ख) संबंधित विषय से तात्पर्य शासन आदेश दिनांक 28.08.2018 की कण्डिका (1.2) में उल्लेखित विषय से है।

(3) संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

4/ आयु—सीमा

4.1 न्यूनतम आयु— 21 वर्ष

4.2 अधिकतम आयु —

क्र.	आवेदक	अधिकतम आयु	अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	49
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	54
3.	पुरूष/महिला (मध्यप्रदेश शासन के निगम, मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	—
4.	पुरूष/महिला (मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	54
5	दिव्यांगजन आवेदकों के लिये	45	54

4.3 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना— दिनांक 1.1.2019 के आधार पर की जावेगी।

4.4 मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासी को ही कंडिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

4.5 उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी है, या रह चुके है अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी।

4.6 ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, की आयु का निर्धारण म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम 8(घ) के अनुसार होगा।

4.7 अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरूस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

4.8 विक्रम पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

4.9 मध्यप्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो, को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

4.10 उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

5/ आरक्षण

(1)मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण)अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों ,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक–एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किये गये अनुदेशो के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) नियम,1998 और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किये गये हैं।

(2) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिये निम्नानुसार क्षैतिजिक (Horizontal) आरक्षण है :–

(एक) महिलाओं के लिये 50% पद।

(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6%पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार है :–

(i) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(ii) बहरे और कम सुनने वाले।

(iii) लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,एसिड अटैक पीडित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

(iv) बहु विकलांगता उपरोक्तानुसार (i) (ii) एवं (iii) को सम्मिलित करते हुये।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%,

(चार) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी। जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हैं ।

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

6/ समस्त अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जाऐंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा।

7/ आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्यप्रदेश के मूल/स्थानीय निवासियों को ही देय होगी।

8/ परिवीक्षा एवं वेतनः–

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

9/ निरर्हताएं :–

(1) यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो।

(2) यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अन्तर्ग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(4) यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।

(5) यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया हो।

(6) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो । किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

(7) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

(8) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एंव समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

10/ **योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया–** यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्र.एफ 01–119/2018/20–1, दिनांक 28.08.2018 की कण्डिका–8 में विहित प्रावधानों के अनुसार होगी। जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची मे सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जायेंगे।

11/ अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/ निर्देश ही मान्य होंगे।

12/ अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर लें। समस्त अभिलेख एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल **https://trc.mponline.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

13/ प्रक्रिया शुल्क **(Processing Fee)**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए।	रू. 150/–
अन्य अभ्यर्थियों के लिये	रू. 200/–

यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी।

14/ अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा/समस्या के समाधान के लिये **MPOnline** के **Call Centre 0755-6720200** पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क करना होगा। इसी प्रकार नियम/निर्देश के संबंध में समस्या होने पर लोक शिक्षण संचालनालय के दूरभाष क्रमांक 0755–4943421 पर अवकाश की अवधि को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से सायं 5:30 बजे के मध्य सम्पर्क किया जा सकता है।

15/भर्ती प्रक्रिया के चरण–

(15.1) पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते है, वे अपनी प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर करेंगे। ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में होने की पुष्टि/सत्यापन करते हुये अभ्यर्थी EWS श्रेणी के सामने Yes Option पर Click करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यह कार्यवाही केवल अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित है।

(15.2) तदुपरांत राज्य स्तर से एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रमाणित रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक मुख्य चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययधीन होगी। प्रावधिक सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

(15.3) प्रावधिक सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगें, उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप मे ंकार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण का होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने की दशा में पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉईस फिलिंग भी इसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन एवं वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र माने जाऐंगें। शाला विकल्प प्रावधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों से भी प्राप्त किया जा रहा है परंतु उन्हें शाला आवंटन की कार्यवाही उन्हें नियुक्ति किए जाने की दशा में ही विचारण में ली जा सकेगी ।

(15.4) तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित

प्रतियों के 2 सेट साथ लाने होंगें। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगें तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी जिसमें एक रिफरेंस नंबर होगा। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।

(15.5) दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी।

16/ समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति/शैक्षणिक योग्यता/व्यावसायिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए है उन्हें भी नये सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

17/ महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां :–

क्र	विवरण	माध्यमिक शिक्षक
1	स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन	30.12.2019
2	एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल **https://trc.mponline.gov.in** पर निर्देशिका/रिक्तियां/सुसंगत नियम, अधिनियम तथा निर्देशों को अपलोड करना।	10.01.2020
3	अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन (सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए)	22 जनवरी से 7 फरवरी 2020
4	एम.पी. ऑनलाईन द्वारा रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक चयन/प्रतीक्षा सूचियों को अपलोड करना।	29 फरवरी 2020
5	प्रावधिक चयनित/प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना तथा शालाओं का विकल्प चयन करना	5 मार्च से 25 मार्च 2020
6	जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन	अप्रैल 2020
7	सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	मई 2020

विशेषः–उपरोक्त तिथियॉ अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगीं। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर किया जावेगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल/दूरभाष क्रमांक पर एसएमएस तथा ई–मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी **https://trc.mponline.gov.in** पर ऑनलाईन चेक कर सकेगें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश